

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी 2018—माघ 26, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. डी-15-16-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्य भारत शासन, वाणिज्य एवं खाद्य विभाग की विज्ञप्ति क्र. 145-13-14-60, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति लश्कर (ग्वालियर) के निम्नलिखित स्थान, उस पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को उपमंडी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम बेहट तहसील मुरार (लश्कर) जिला ग्वालियर के निम्नलिखित खसरा क्रमांकों का कुल रकबा 2.686 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (3)
1	874 मि.	1.693
2	875 मि.	0.115
3	877/1	0.178
4	878, 879	0.167
5	877/2	0.157
6	882 मि.	0.042
7	880	0.334
कुल योग		2.686

जिसकी सीमाएं

पूर्व में—वनवारी यादव की भूमि.

पश्चिम में—जगन्नाथ की भूमि.
उत्तर में—बाबूसिंह यादव की भूमि.
दक्षिण में—मुरार-मौ रोड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. डी-15-16-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 15 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th February 2018

No. D-15-16-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that the following Places including all structures, enclosure, open places or locality in the Laskar (Gwalior) market area for which a market has been established *vide* Madhya Bharat Commerce and Food Department's Notification No. 145/13 dated 9 June, 1953 shall be sub market yard namely:—

PLACE

An area of 2.686 Hectars land of below mentioned Khasra number at Behat in Murar (Laskar) Tehsil of Gwalior District.

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectore's) (3)
1	874 Min.	1.693
2	875 Min.	0.115
3	877/1	0.178
4	878, 879	0.167
5	877/2	0.157
6	882 Min.	0.042
7	880	0.334
		All Total . 2.686

BOUNDED BY

On the East by—Land of Vanwari Yadav.
On the West by—Land of Jagannath.
On the North by—Land of Babu Singh Yadav.
On the South by—Murar-Mou road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. डी-15-16-2018-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 15 फरवरी 2018 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र लश्कर जिला ग्वालियर के निम्नलिखित क्षेत्र को उप मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत बेहट तहसील मुरार (लशकर) जिला ग्वालियर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) उपमंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
1. विलारा, 2. सुपावली, राहुली, सुजाहरपुरा, 3. जिंदपुरा, जमरोला, 4. जारगा, 5. डवका, 6. केडा, 7. भवनपुरा, नारायणपुरा, 8. थसरसोद, 9. जखारा डाग सरकार, 10. गुन्धारा, 11. चपरोली, कृपालपुरा, 12. किरावली, डगोरा, चकसोगपुर छोदी लहुआपुरा, 13. हथेली, सिकरोदा, 14. चक महाराजपुरा, 15. आरोली, 16. मुखत्यारपुरा, तौर, रिपुआपुरा, 17. हस्तिनापुर, 18. फूसावली, लाकापुरा, 19. अरोरा, जिगनीया, 20. वेनीपुरा लुहारपुरा, आरी, हरजनपुरा, हरपुरा, 21. वेहट, 22. गडरोली, गुंजना, इकोना मढ़ा, 23. दगियापुरा, 24. घुसगंवा, टिकरोली, 25. रनगवां.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2018

क्र. डी-15-16-2018-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 15 फरवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 15th February 2018

No. D-15-16-2018-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 15th February 2018 the following area of Murar Tehsil of Gwalior District shall be Sub-market yard, namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Berat in Tehsil Murar of Gwalior District.
 - (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Sub-market yard, namely:—
1. Vilara, 2. Supawali, Rahuli, Sujaharpura, 3. Zindpura, Jamrola 4. Jarga 5. Davka, 6. Kada, 7. Bhawanpura, Narayanpura 8. Thasarsod, 9. Jakhara Dog Sarkar, 10. Gundhara, 11. Chaproli, Kripalpura 12. Kirawali, Dagora, Chaksogpur Chhodi, Lahuapura 13. Hatheli, Sikroda 14. Chak Maharajpura, 15. Aroli, 16. Mukhtiyarpura, Tour, Ripuapura 17. Hastinapur, 18. Phusavali, Lakapura 19. Arora, Ziganiya, 20. Venipura, Luharpura, Aari, Harjanpura, Harpura, 21. Behat 22. Gadroli, Gunjna, Ekona, Madha 23. Dagiypura 24. Ghulgawa, Tikroli 25. Rangawa.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.